प्रेस नोट
जनपद संकबीरनगर
दिनाँक 30.06.2026

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय की गठित टीम द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/2026 धारा 191(2),121(1),352,351(3),109 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता राज चौहान पुत्र रामबृक्ष चौहान निवासी सिक्टहां थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 30.06.2026 को अगया उर्फ सिदाही मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 26.06.2026 को वादी हे0का0 श्री अनिल कुमार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी उपरोक्त द्वारा वादी व वादी के हमराही के ऊपर प्राणघातक हमला कर घायल करने व जान से मारने की धमकी दिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महुली पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 गौतम यादव, का0 मनीष कुमार।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प हेस्क थाना महुली द्वारा 3900 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना महुली पुलिस द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 3900 रुपये की धनराशि उनके खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी राजेश कुमार पुत्र बिन्द्रा प्रसाद ग्राम नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर दिनांक 16.06.2026 को पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे थे मोबाईल नम्बकर गलत होने से गलत खाते में पैसा चला गया, जिसकी शिकायत वादी द्वारा साईबर क्राईम पोर्टल पर दिनांक 22.06.2026 को करते हुए साइबर हेल्प डेस्क थाना महुली को सूचना देकर पुलिस से सहायता की मांग की गई।
शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क थाना महुली द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंकिंग एवं तकनीकी माध्यमों से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पीड़ित के खाते में 3900 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्यवाही करने वाली टीम- थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय, प्रभारी साइबर सेल श्री अनुज कुमार यादव, का0 अंकित पटेल, का0 सोनू यादव, का0 मनोज यादव, म0का0 कमलेश कुमारी।

जनपद पुलिस की अपील- जनपद पुलिस समस्त नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, फोन कॉल, मैसेज अथवा ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
सावधानी ही सुरक्षा है।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पूर्व चेयरमैन पर हमले की साजिश रचने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय* की गठित टीम द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 276/2026 धारा 190/191(2)/352/351(3)/496/61(2)/115(2)/109(1)बी0एन0एस0 से सम्बधित वांक्षित अभियुक्त हरिओम वर्मा पुत्र राममिलन वर्मा निवासी वार्ड न0 03 नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 30.06.2026 को गाधीनगर नगर पंचायत हरिहरपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 29.06.2026 को वादी श्री जयराम माझी पुत्र स्व0 भागी निवासी वार्ड नं0 02 राजेन्द्र नगर, नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर तहरीर दिया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादी के ऊपर लाठी डण्डो से प्राणघातक हमला कर घायल कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महुली पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री संजय कुमार, उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, हे0का0 पंकज यादव, का0 छोटेलाल।

दबिश के दौरान 11 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता डब्लू चौधरी पुत्र शिव कुमार निवासी डिहुलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अश्विनी कुमार तिवारी, का0 श्याम नारायण यादव, का0 आकाश यादव।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. रिजवान पुत्र अली अहमद निवासी सिसवा बाजार 02. मकसूद अली पुत्र आसिक अली निवासी चवरिया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, उ0नि0 श्री लालचन्द प्रसाद, का0 भूपेन्द्र दूबे, का0 आनन्द पटेल, का0 अमरजीत यादव।

थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी नाम पता 01. ठाकुर पुत्र सीताराम निवासी जमोहरा 02.विजय पुत्र ठाकुर निवासी जमोहरा 03.ललऊ पुत्र सोहित निवासी रक्सा 04.राममूरत सिंह पुत्र नरसिंह निवासी नौदरी 05. मंगरू पुत्र त्रिलोकी निवासी बढ़या ठाठर टोला नगपुरवा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री मैनेजर यादव, उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, हे0का0 सुरेन सिंह , का0 नितीश कुमार, का0 अर्पित पाण्डेय, कां0 संदीप गुप्ता , कां0 अंकेश यादव ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01. पूर्णवासी पुत्र दुल्लर निवासी प्रतापपुर 02. भगवानदास पुत्र पूर्णवासी निवासी प्रतापपुर 03.फिरोज उर्फ मोहम्मद हुसैन पुत्र अली हुसैन निवासी बुद्धईया बाजार जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार तिवारी, हे0का0 उमेश यादव, का0 लवकेश यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 लोगों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 6005 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत जंगल बेलहर से कालर द्वारा आटो पलट जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 लोगो (1.गीता देवी पत्नी राजकुमार सा0 बखिरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 2.आसमा खातून पत्नी नदीरहम सा0 पिपरा प्रथम थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर 3.शीला पत्नी अज्ञात पता अज्ञात) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घचना में घायल लोगों को एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 अभिषेक मिश्रा, का0 इन्द्रजीत वर्मा, हो0गा0चा0 महेन्द्र नाथ मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 275 वाहनों से 2,92,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 30.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 275 वाहनों से 2,92,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को 05 वर्ष साधारण कारावास की सजा व कुल 14,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 30.06.2026 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष की साधारण कारावास की सजा व कुल 14,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 03.04.2014 को वादी मुकदमा श्री आनन्द राय पुत्र स्व0 परमहंस राय निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त राजू वर्मा पुत्र घिस्सू वर्मा निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के पिता परमहंस राय को लाठी डण्डे से मारने पीटने व इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री उमाशंकर तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 758/2014 धारा 323/325/504/506/304/34 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त राजू वर्मा उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 323/34 भादवि के अपराध में 01 वर्ष साधारण कारावास की सजा, धारा 325/34 भादवि के अपराध में 03 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माना, धारा 504 भादवि के अपराध में 01 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 1000 रुपये के जुर्माना, धारा 506 भादवि के अपराध में 01 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 1000 रुपये के जुर्माना, धारा 304/34 भादवि के अपराध में 05 वर्ष साधारण कारावास की सजा व 10,000 रुपये के जुर्माना तथा उपरोक्त जुर्माना न अदा करने पर 06 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया।